राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING
आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित/ISO 9001 : 2008 Certified
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मा.सं.वि.मं., भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था)
(An Autonomous Institution Under Deptt. of School Education and Literacy, M.H.R.D., Govt. of India)

F.27.1/2015/NIOS/SSS/OBE Accr./1094 Date: 30/6/15

Sir/Madam,

I am to inform that your agency has been accredited provisionally as a Study Centre of National Institute of Open Schooling (NIOS) for Open Basic Education (OBE) Programme from the current Academic Session and allotted a Study Centre Code No. ***OB4700115,*** *which may please be quoted in all future correspondence with NIOS.*

You are further informed that your agency has been accredited for running the OBE Programme for the learners of ***Both*** *age groups.* ***However, as per orders of MHRD dated 24th March 2015, vide reference F.No.1-3/2012-EE-4, NIOS can run OBE Programme for the age group 6-14 upto 31st March 2017 only. Therefore, for 6-14 age groups you are given provisional accreditation upto 31st March 2017 only***

Mr. Pondi Kishore Kumar, Director, is appointed as Co-ordinator of your agency. One copy of signed MOU is returned herewith.

With best wishes,

Yours sincerely,

(S K Prasad)
SAP/Dy. Director (SSS)

To
The Coordinator,
Subhiksha Voluntary Organization,
Plot No. 271 & 272,
Doyen's Township, Opp. Alind Serilingampally,
Telangana-500019, Hyderabad
Ph:040-60501664

(Trust has applied for both age group of learners)

Copy to:

1. Regional Director, NIOS Regional Centre, Hyderabad
2. *SA/P for updating the OBE list in the website.*
3. *Director (Academic).*

ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर-62, नोएडा-201309 (उ.प्र.) • दूरभाष : 0120-4089800 • फैक्स : 0120-2403172
A-24-25, Institutional Area, Sector-62, NOIDA-201309 (U.P.) • Phone : 0120-4089800 • Fax : 0120-2403172 • Website: www.nios.ac.in

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस)
National Institute of Open Schooling (NIOS)

मुक्त बेसिक शिक्षा (ओबीई) कार्यक्रम
OPEN BASIC EDUCATION (OBE) PROGRAMME

समझौता ज्ञापन (एमओयू)/MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

प्रथम पार्टी
First Party
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस)

ए-24-25, सेक्टर-62, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
जिला गौतमबुद्ध नगर, नोएडा
उत्तर प्रदेश – 201307

National Institute of Open Schooling (NIOS)
A-24-25, Sector – 62, Institutional Area,
Distt. Gautam Budh Nagar, NOIDA
Uttar Pradesh– 201307

द्वितीय पार्टी (एनआईओएस द्वारा प्रत्यायित एर्जेंसी)
Second Party (Accredited Agency by NIOS)

प्रत्यायित एर्जेंसी का नाम:
Name of AA: SUBHIKSHA VOLUNTARY ORGANIZATION
समन्वयक का नाम :
Name of Coordinator: PONDI KISHORE KUMAR
पता:-

Address: PLOT NO: 271&272
DOYENS TOWNSHIP, OPP. ALIND
SERILINGAMPALLY, HYDERABAD-500019
(Pin): 500019 TELANGANA
फोन नं. एसटीडी कोड सहित (**Phone With STD Code**):
मोबाइल नं. 040-60501664
Mobile No. 08885550212
फैक्स (**Fax**):
ई-मेल(**E-mail**): kishorekumar.pondi@Gmail.com, director@subhiksha.org

मुक्त बेसिक शिक्षा (ओबीई) कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु एनआईओएस द्वारा प्रत्यायित एजेंसी
ACCREDITED AGENCY BY NIOS FOR OPERATIONALISATION OF THE OBE PROGRAMME

आयु वर्ग के लिए **(For the age group)**

6-14 वर्ष (6 to 14 years)

अथवा (Or)

15 वर्ष एवं अधिक (15 **years & above**)

अथवा (Or)

दोनों आयु वर्ग के लिए **(Both Age Groups)**

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के मुक्त बेसिक शिक्षा (ओबीई) कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्यायित एजेंसी (एए) के रूप में कार्य करने के लिए निम्नलिखित नियम एवं शर्तें होंगी:-
Terms and conditions for working as an Accredited Agency (AA) under the Open Basic Education (OBE) programme of the National Institute of Open Schooling (NIOS):-

1. प्रत्यायित एजेंसी में कार्यक्रम का समन्वयक
Co-ordinator of the Programme in the Accredited Agency

1.1 गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के मामले में संस्था/एजेंसी के प्राचार्य/प्रमुख ही ओबीई कार्यक्रम के समन्वयक होंगे।
In case of Non-Governmental Organization (NGO), the Head of the Institution/Agency shall be the Co-ordinator of the OBE Programme.

1.2 सरकारी एजेंसी के मामले में राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति ओबीई कार्यक्रम का समन्वयक होगा।
In case of Governmental Agency, the person designated by the State Government shall be the Co-ordinator of the OBE programme.

1.3 समन्वयक बदलने के मामले में प्रत्यायित एजेंसी के लिए एनआईओएस का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।
In case of change of the Co-ordinator, the approval of NIOS is mandatory for the Accredited Agency.

2. एनआईओएस राज्य स्तर की एजेंसी का निर्धारण करेगा जिसके द्वारा किसी राज्य विशेष में ओबीई कार्यक्रम चलाया जाएगा एवं मॉनिटर किया जाएगा। प्रत्यायित एजेंसी को राज्य की एजेंसी के साथ कार्य करना होगा और पूरे राज्य के लिए बनाए गए ओबीई संबंधी नीतिगत निर्णयों का पालन करना होगा।
NIOS will identify the State level agency through which the OBE programme will be conducted and monitored. The Accredited Agency will work with the State level agency and abide by policy decisions for OBE programme meant for the entire State.

३ एनआईओएस अपने क्षेत्रीय केंद्र या मुख्यालय के माध्यम से प्रत्यायित एजेंसी से सीधे अथवा राज्य स्तर की एजेंसी के साथ कार्य करेगा।
NIOS through its concerned Regional Centre or Headquarters will deal with Accredited Agency both directly and through the State level agency.

4. एनआईओएस मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु एक सामान्य शैक्षिक एवं प्रशासनिक कैलेंडर के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगा। प्रत्येक प्रत्यायित एजेंसी एनआईओएस द्वारा बनाए गए ओबीई कार्यक्रम के कैलेंडर का पालन करेगी। प्रत्यायित एजेंसी को सत्र के आरंभ में सत्र के दौरान पालन किए जाने वाली शैक्षिक वर्ष की कार्यप्रणाली एनआईओएस क्षेत्रीय केंद्र को भेजनी होगी।

NIOS will develop the guidelines for a common academic and administrative calendar for implementation of the OBE programme. The Accredited Agency shall abide by the calendar of OBE Programme formulated by NIOS. The Accredited Agency will have to send the schedule of the academic year to be followed during the session to the NIOS Regional Centre in the beginning of the session.

5. एनआईओएस प्रत्यायित एजेंसी को नमूना पाठ्यचर्या और शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान कर सकता है।

NIOS may provide exemplar curriculum and teaching-learning materials to the Accredited Agency.

6. प्रत्यायित एजेंसी चाहे तो एनआईओएस पाठ्यचर्या को आधार बनाकर स्थानीय भाषा में अपनी स्थानीय विशिष्ट सामग्री तैयार कर सकती है।

The Accredited Agency may develop its own local specific teaching – learning materials based on NIOS curriculum in local language.

7. प्रत्यायित एजेंसी एनआईओएस द्वारा दी गई ओबीई सामग्री को एनआईओएस के परामर्श से अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्वीकार/परिवर्तन/अनुवाद कर सकती है। एनआईओएस अपने नियमानुसार इस प्रकार के प्रयास में आंशिक रूप से अथवा पूर्ण सहयोग दे सकता है।

The Accredited Agency may adopt/adapt/translate the exemplar OBE material provided by the NIOS to suit the local requirements. The NIOS may fully or partially support such effort at its discretion.

8. ओबीई कार्यक्रम के अंतर्गत एनआईओएस द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा अन्य एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर तैयार की गई सामग्री का कॉपीराइट एनआईओएस के पास होगा। एजेंसी को एनआईओएस से सामग्री के प्रयोग, परिवर्तन और अनुवाद के लिए लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। एजेंसी द्वारा किए गए परिवर्तन, अथवा अनुवाद कराने से एजेंसी को एनआईओएस द्वारा दी गई सामग्री पर कॉपीराइट का अधिकार नहीं होगा।

The copyright of the material developed by it directly or through any other agencies at all levels under OBE Programme shall vest with the NIOS. The agency will have to take prior written permission from NIOS for using materials for adoption/adaptation/translation. The adoption/adaptation/translation by the Accredited Agency will not empower it to have copyright on the materials developed by NIOS or by its agencies.

9. प्रत्यायित एजेंसी एनआईओएस द्वारा विभिन्न विषयों पर तैयार की गई पाठ्यचर्या को ही अपनाएगी। यदि प्रत्यायित एजेंसी ने एनआईओएस पाठ्यचर्या के आधार पर कोई सामग्री तैयार की है तो प्रत्यायित एजेंसी को नया शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पहले एनआईओएस से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

The Accredited Agency is required to adopt the subjective curriculum developed by NIOS. In case any material is developed by the Accredited Agency based on the NIOS curriculum, the same shall be required to be approved from NIOS by Accredited Agency before the start of the Academic session.

10 प्रत्यायित एजेंसी एक विशेष ओबीई स्तर के लिए अध्ययन योजना में निश्चित किए गए अध्ययन के घंटों के अनुसार प्रत्यक्ष शिक्षण की व्यवस्था करेगी। प्रत्यायित एजेंसी द्वारा दिशानिर्देश में निर्धारित अध्ययन के घंटों का सख्ती से पालन किया जाए और ऐसे शिक्षार्थियों को कोई प्रमाणपत्र न दिया जाए जो मानदण्ड को पूरा नहीं करते।

The Accredited Agency will provide face to face teaching as per the scheme of studies for a particular OBE level. The study hours prescribed in the guidelines will have to be strictly adhered to by the Accredited Agency and no certificates will be issued to the learners who do not fall within the criteria.

11. प्रत्यायित एजेंसी यह सुनिश्चित करे कि उसके पास ओबीई कार्यक्रम के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम आयोजित कराने के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं तथा शिक्षार्थियों को प्रयोगात्मक कक्षाओं के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की गयी हैं।

The Accredited Agency has to ensure that it has necessary infrastructure including tools and equipments to conduct the Vocational Education Courses under OBE programme and learners are provided adequate practical facilities.

12. प्रत्यायित एजेंसी सत्र के आरंभ करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर एनआईओएस द्वारा दिए गए प्रारूप में एक कंप्यूटरीकृत डाटाबेस में संपूर्ण शिक्षार्थी प्रवेश रिकॉर्ड एनआईओएस को प्रदान करेगी।

The Accredited Agency shall provide complete learners admission record to NIOS in a computerised database as per format provided by NIOS within a period of two months from the date of commencement of the session.

13. शिक्षार्थियों के प्रवेश के साथ-साथ पहचान पत्रों (आईडी) के जारी करने, अध्ययन सामग्री के मुद्रण और वितरण, परामर्श, परीक्षा के आयोजन, मूल्यांकन और कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड तैयार करने से संबंधित सभी कार्य प्रत्यायित एजेंसियों द्वारा अपने खर्च पर कराए जायेंगे। उपर्युक्त कार्यों के लिए एनआईओएस प्रत्यायित एजेंसी को कोई भुगतान नहीं करेगा।

All matters relating to admission of learners, including issue of Identity Cards (IDs), printing and supply of study materials, counseling, conduct of examination, evaluation and computerized record maintenance shall be done by the Accredited Agency at its own cost. NIOS will not bear any financial liability to the Accredited Agency for the above activities.

14. प्रत्यायित एजेंसी विभिन्न ओबीई स्तरों के लिए एनआईओएस द्वारा प्रदान किए गए सक्षमता आधारित ब्लू प्रिंट के अनुसार ही परीक्षाएं आयोजित करेगी। एनआईओएस को किसी भी समय मूल्यांकन योजना में परिवतन करने का अधिकार है।

The Accredited Agency shall conduct examinations as per competency based blueprint provided by NIOS for different OBE levels. NIOS will have the right to change the evaluation scheme at any time.

15. प्रत्यायित एजेंसी एनआईओएस की पद्धति और उसके द्वारा तैयार योजना के अनुसार परीक्षा आयोजित कराएगी।

The Accredited Agency shall conduct the examinations in a pattern and schedule formulated by NIOS.

16. एनआईओएस को यह अधिकार है कि वह प्रत्यायित एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करे और प्रत्यायित एजेंसी के विरुद्ध किसी भी शिकायत के मामले में उचित कार्रवाई करे।

NIOS has the right to appoint observers for the examinations conducted by Accredited Agency and take appropriate action in case of complaint against the Accredited Agency.

17. प्रत्यायित एजेंसी सुचारू ढंग से परीक्षा आयोजित कराएगी। यदि एनआईओएस ने संज्ञान लिया कि परीक्षा के आयोजन में कोई कमी है अथवा कोई ऐसा प्रमाण मिला जिससे प्रत्यायित एजेंसी को अनुचित साधनों को प्रयोग करते हुए पाया गया तो प्रत्यायित एजेंसी के विरुद्ध अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसमें प्रत्यायन का निरस्तीकरण भी हो सकता है। शिक्षार्थियों का मूल्यांकन एनआईओएस द्वारा निर्धारित किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

The Accredited Agency shall conduct the examination in a fair manner. Any deficiency in the conduct of examination noted by NIOS or any evidence of involvement of the Accredited Agency in abetting unfair means would render the Agency liable for disciplinary, legal action including termination of the accreditation. The evaluation of learners will be done as per guidelines provided by NIOS.

18. परीक्षाओं का परिणाम प्रत्यायित एजेंसी द्वारा सीडी में एनआईओएस द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप के अनुसार दिया जाए और साथ में परीक्षा परिणाम की प्रिंटआउट कॉपी भी दी जाए जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर समन्वयक के हस्ताक्षर हों।

The result of examination is to be supplied by the Accredited Agency to NIOS in CD in the format provided by NIOS alongwith the computer printout of the result duly signed by the Co-ordinator of Accredited Agency on each page.

19. चूंकि ओबीई प्रमाणपत्र एक 'संयुक्त प्रमाणपत्र' है इसलिए प्रत्यायित एजेंसी प्रमाणपत्र पर संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता होगी और उसे एनआईओएस को दो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षर अवश्य प्रदान करेगी।

Since the OBE Certificate is a 'Joint Certificate', the Accredited Agency will be a joint signatory on the certificate and must provide to NIOS specimen signatures of two authorized signatories.

20. प्रत्यायित एजेंसी शिक्षार्थियों को ओबीई प्रमाणपत्र नि:शुल्क वितरित करेगी और निर्णयानुसार यदि एनआईओएस ने पाया कि इसके लिए कोई धन राशि ली गई है तो एनआईओएस के द्वारा प्रत्यायित एजेंसी के विरुद्ध अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

The Accredited Agency shall distribute the OBE Certificates without any charge to the learners. In case, it is found that any amount has been charged in this regard, it would render the Accredited Agency liable for disciplinary/penal action as may be decided by NIOS.

21. एनआईओएस प्रत्यायित एजेंसी को ओबीई कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भौतिक साधनों अथवा मानव संसाधन के लिए कोई वित्तीय अनुदान नहीं देगा।

NIOS will not provide any financial grant to the Accredited Agency for any physical or human resources for conducting the OBE programme.

22. प्रत्यायित एजेंसी समय-समय पर एनआईओएस के निर्देशानुसार शिक्षार्थियों से संबंधित लिखित कार्य, परियोजनाएं और विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां आयोजित कराएगी।

The Accredited Agency shall carry out assignments, projects and other academic activities related to learners as directed by NIOS from time to time.

23. शैक्षिक दृष्टि से बेहतर, स्वास्थ्यप्रद एवं अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिए प्रत्यायित एजेंसी को अपने मुक्त बेसिक शिक्षा अध्ययन केंद्र में स्वच्छता और सफाई की सभी आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी।

The Accredited Agency shall fulfill all requirements regarding sanitation and cleanliness in order to maintain a healthy and educationally conducive environment in its OBE Study Centre.

24. प्रत्यायित एजेंसी मुक्त बेसिक शिक्षा के क्रियान्वयन की जांच के उद्देश्य से अध्ययन केंद्रों के भवन और चल रहे कार्य के निरीक्षण के लिए एनआईओएस दलों को अनुमति देगी।

The Accredited Agency shall allow inspection of the premises of its Study Centre for monitoring of the OBE Programme and the work being done.

25. एजेंसी सही और उचित तरीके से अपना पूरा विवरण देगी। किसी प्रकार की गलत जानकारी देने पर एजेंसी का प्रत्यायन रद्द किया जा सकता है।

The Agency shall give full details about it in a correct and truthful manner. Any false information inputs would render the agency liable to disaccreditation.

26. एनआईओएस द्वारा एजेंसी को जिस जिले के लिए प्रत्यायन/मान्यता प्रदान की गई है, वह उससे बाहर ओबीई के लिए प्रत्यायित एजेंसी के उपकेंद्र नहीं खोलेगी। एजेंसी जिले में खोले गए उपकेंद्रों की सूची प्रत्यायन फॉर्म के साथ संलग्न करेगी। यदि कोई एजेंसी जिले में उपकेंद्र खोलने की इच्छुक है तो उसके लिए एनआईओएस की स्वीकृति अनिवार्य है। एजेंसी के उपकेंद्रों की संख्या पांच से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रत्यायित एजेंसी यदि उपर्युक्त निर्देशों में से किसी का उल्लंघन करती है उसे 5000/- रुपये की राशि दण्ड के रूप में देनी होगी और/अथवा समझौते को समाप्त किया जा सकता है।

The Agency shall not open sub-centres of Accredited Agency for OBE outside the jurisdiction district for which accreditation/recognition has been granted by NIOS. Within the district, a list of Sub-Centres opened will be attached with the form of accreditation. If any agency desires to open sub-centres in the district, the permission of NIOS is mandatory. The number of sub-centres must not be more than five. Any deviation in the above would render the Accredited Agency liable for a penalty of Rs. 5000/- and/or termination of agreement.

27. इसके अतिरिक्त, यदि प्रत्यायित एजेंसी को निम्नलिखित अनुपयुक्तताओं/अनियमितताओं में संलग्न पाया गया तो एनआईओएस को एजेंसी का प्रत्यायन वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है।

Among other things, the NIOS reserves the right to withdraw accreditation in case the Accredited Agency is found indulging in any of the following improprieties/irregularities.

27.1 एनआईओएस द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार शिक्षार्थियों को आवश्यक शैक्षिक और प्रशासनिक सहायता न देना।

Failure to provide necessary academic and administrative support to the learners as per schedule/norms fixed by NIOS.

27.2 सेवा शुल्क अथवा किन्हीं अन्य कार्यों के लिए धनराशि स्वीकार करना।

Accepting money towards service charges or for any other tasks.

27.3 नामांकन और प्रमाणपत्र प्रदान करने का सही रिकॉर्ड बनाकर न रखना।

Non-maintenance of proper records pertaining to enrolment and certification.

27.4 परीक्षा केंद्र का अपर्याप्त अवलोकन जिससे केंद्र में परीक्षा के दौरान शिक्षार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग/सामूहिक नकल करते हैं।

Inadequate supervision of the Examination Centres enabling learners to use unfair means/copying during the examinations at the centres.

27.5 लगातार दो वर्षों तक अध्ययन केंद्र के रूप में प्रत्यायित एजेंसी का असंतोषजनक शैक्षिक परिणाम और उसे सुधार करने में असमर्थ होना।

Poor academic performance of the Accredited Agency for two consecutive years and not being able to keep the performance at satisfactory level.

27.6 प्रवेश, परीक्षा और अन्य दिए गए कार्यों से संबंधित कोई अन्य अनुचित व्यवहार जिसके कारण एनआईओएस की दृष्टि में एजेंसी का प्रत्यायन तुरंत रद्द कर देना चाहिए।

Any other misconduct in connection with the admission, examinations and other assigned tasks which in the opinion of NIOS warrants immediate withdrawal of accreditation of Accredited Agency.

28. *यदि एमओयू से उत्पन्न अथवा उसके संबंध में द्वितीय पार्टी और प्रथम पार्टी के बीच कोई विवाद होता है तो वह विवाद प्रथम पार्टी द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को दिया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा और द्वितीय पार्टी के लिए अंतिम एवं बाध्य होगा।*

In case of dispute arising between the party of the second part and party of the first part arising out of or in relation of the MOU, the dispute shall be referred to the sole arbitrator appointed by the party of the first part whose decision shall be final and binding on the party of the second part.

29. यदि दोनों पार्टियों (एनआईओएस एवं प्रत्यायित एजेंसी) के बीच में कोई विवाद होता है तो सभी मामले नोएडा (उ.प्र.) के न्यायालयों में निपटाए जायेंगे और क्षेत्राधिकार सिर्फ नोएडा (उ.प्र.) के न्यायालयों का ही होगा।

In case of any dispute arising out of the relation between the parties of the MOU, the jurisdiction of the Courts and Tribunals will be at the Court of Law, NOIDA (UP).

30. एनआईओएस द्वारा प्रत्यायित समस्त एजेंसियों को एनआईओएस की मानक कार्य प्रणाली (एसओपी) मान्य होगी। एसओपी इस समझौता ज्ञापन का एक अभिन्न अंग है।

The Standard Operating Procedure (SOP) for the Accredited Agency is binding on all institutions/organizations accredited by NIOS. The SOP is an integral part of this MOU.

31. केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशानुसार प्रत्यायित एजेंसी को अपने टेलीफोन नंबर एवं ई-मेल आईडी संस्था/प्रत्यायित एजेंसी के एक महत्वपूर्ण स्थान पर एक अलग बोर्ड पर प्रदर्शित करने होंगे।

As per the directions of the Central Vigilance Commission (CVC), the Accredited Agency is required to display □□□ telephone numbers and E-mail IDs on a separate board at a prominent place of the Institution /Accredited Agency.

32. एजेंसी को एनआईओएस नियमों के अनुसार प्रमाणपत्रों/अंकसूचियों के लिए भुगतान करना होगा।

The Agency is required to pay for Certificates/Mark sheets as per NIOS Norms.

33. प्रत्यायित एजेंसी को एनआईओएस से संबंधित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने होंगे जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई 2005) की मांग के तहत अल्पकालीन नोटिस पर उपलब्ध कराने होंगे।

The Accredited Agency shall maintain all records pertaining to NIOS activities and ensure availability at short notice and ability to respond under Right to Information Act (RTI, 2005).

34. एनआईओएस के विरुद्ध प्रत्यायित एजेंसी किसी प्रकार की संस्था/संगठन नहीं बना सकती।

The Accredited Agency shall not form any kind of Association/Forum against NIOS.

उपर्युक्त समझौता ज्ञापन में दिए गए नियमों और शर्तों पर हमारी स्वीकृति के रूप में, हम............ दिन.................. माह सन् दो हजार .... को हस्ताक्षर करते हैं।

We put our hands on this ______8th______ day of ____JUNE____ month Two Thousand ____2015____ as a token of our accepting the terms and conditions as set forth in the above Memorandum of Understanding.

एनआईओएस के लिए और उसकी ओर से	एजेंसी के लिए और उसकी ओर से
For and on behalf of NIOS	**For and on behalf of the Agency**
हस्ताक्षर/Signature	हस्ताक्षर/Signature P. Kishore Kumar
नाम/Name	नाम/Name PONDI KISHORE KUMAR
सचिव (एनआईओएस)	पदनाम (प्राचार्य/प्रमुख)
Secretary (NIOS) Secretary National Institute of Open Schooling (Govt. of India) A-24/25, Sector-62, Noida-201301	Designation/Principal/Head
कार्यालयी मुहर	कार्यालयी मुहर
Official Stamp	Official Stamp PRESIDENT SUBHIKSHA VOLUNTARY ORGANIZATION Plot No: 271 & 272, Doyen`s Township, Serilingampally, Hyderabad-500 019. TELANGANA STATE, INDIA.
स्थान/Place	स्थान/Place
तिथि/Date	तिथि/Date 08-06-2015
गवाह/Witness	गवाह/Witness
1.	1.
हस्ताक्षर (Signature)	हस्ताक्षर (Signature)
नाम और पता/Name & Address Ved Parkash Asstt. Dir. (Admn.) NIOS, Noida	नाम और पता/Name & Address JAGADISH HAKKE 304 Sai Sama Enclave Pipe Line Road Madinaguda. Hyderabad - 500050
पिन कोड/Pin Code:	पिन कोड/Pin Code:
गवाह/Witness	गवाह/Witness
2.	2.
हस्ताक्षर (Signature)	हस्ताक्षर (Signature)
नाम और पता/Name &Address Madhu Bansal Asstt Dir SSS Deptt, NIOS	नाम और पता/Name &Address G.O.V. KRISHNA RAO. # 238, S.P. Nagar Colony Opp. Nizampet X Roads, Hyderanagar Hyderabad
पिन कोड/Pin Code:	पिन कोड/Pin Code: 500085.